122

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2078–I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2015 पारित अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 167/ अपील /2012–13

संतोष पत्नी स्व. राजू उर्फ रजौली ब्रा.

निवासी ग्राम छठी बम्होरी, तहसील – चंदला

जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– शिवदास राजपूत पुत्र देवी सिंह राजपूत
निवासी – सिलगांटा तह. चंदला जिला छतरपुर

2– बाबू पुत्र रामआसरे ब्रा.
निवासी ग्राम छठी बम्होरी तह. चंदला
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता आवेदक

श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधिवक्ता, अनावेदक क्रं. 1

आदेश

(आज दिनांक 6–10–2016 को पारित)

यह निगरानी का आवेदन पत्र मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 167/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2015 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार बछौन तहसील चंदला के बटवांरा आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 शिवदास द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.02.2013 को प्रस्तुत की गयी। शिवदास द्वारा विलंब माफी के लिये अवधि विधान की धारा –5 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभगीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक संतोष की ओर से अपील प्रचलन योग्य नहीं होने एवं अवधि बाह्य होने संबंधी आपत्ति दिनांक 23.04.2015 को प्रस्तुत की गयी। आपत्ति पर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 16.06.2015 में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनावेदक क्र. 1 (अपीलाथी) को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार मान्य किया जाता है तथा विलंब माफ किया जाकर अपीलार्थी शिवदास राजपूत द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि मान्य की जाती है तथा प्रकरण उभयपक्ष के अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र पर कोई निश्कर्ष दिये बिना अस्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– मैने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के उपस्थित विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा लिखित तर्को पर भी विचार किया। आवेदक

अभिभाषक का तर्क है कि तहसील न्यायालय ने बटवांरा आदेश अभिलिखित भूमिस्वामियों की सहमति से पारित किया था। अनावेदक क्र 1 वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है इस कारण उसे बटवांरा कार्यवाही में शामिल किये जाने का प्रश्न ही नहीं था न ही उसे उक्त बटवांरा आदेश को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का अधिकार था। तहसील न्यायालय में फर्द बंटवारा पर संयुक्त खातेदारों ने अपनी सहमति से आवेदक को बटवांरा में भूमि दी है सहमति के हस्ताक्षर व अंगूठा अंकित है। आवेदक द्वारा वैधानिक आपत्ति अपील प्रचलन योग्य नहीं होने संबंधी उठायी गई थी जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अमान्य करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि अपील स्पष्टतः समयावधि बाह्य थी । विलंब आवेदन में दर्शाये गये आधार पर्याप्त एवं विधि संगत नहीं है। अतः आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक क्र. 1 के अभिभाषक ने लिखित तर्क पेश किये गये उनके तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रजोली उर्फ राजू एवं बाबू के सहखाते की भूमि थी। प्रत्येक खातेदार का हिस्सा बराबर था अर्थात 1/2, 1/2 हिस्सा था। रजोली का हिस्सा 1/2 अनावेदक शिवदास ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2011 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। बटवांरा के संबंध में सहिता की धारा 178 में नियम बनाये गये हैं उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया । अनावेदक क्रं. 1 ने विक्रय पत्र से जिस भूमि को क्रय किया है उक्त भूमि रजोली के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है जिसका बटवांरा कर आवेदक को दे दी गयी है। उक्त वटबांरा आदेश विधि के विपरीत है इस कारण उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में परिसीमा लागू नहीं होती है। अतः अनावेदक

अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभगीय अधिकारी द्वारा अपील प्रचलन योग्य एवं अन्दर अवधि मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

5– अनुविभगीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.10.2010 के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 शिवदास द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.02.2013 को अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्टतः समयावधि बाह्यय है। अनावेदक ने विलंब को माफ करने हेतु अवधि विधान की धारा –5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अवधि विधान तथा आवेदक संतोष की ओर से अपील प्रचलन के संबंध में उठायी गयी आपत्ति का विधिवत निराकरण करना चाहिये था। रामभुवन वि. रामविशाल (2002 रा. नि. 254) में राजस्व मण्डल द्वारा यही व्यवस्था दी गयी है कि –

"धारा 44 (1) – समय वर्जित अपील – परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश से विनिश्चित किया जाना चाहिये।"

विलम्ब को न्यायहित में तभी माफ किया जा सकता है जब प्रत्येक दिन का समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाये। आवेदकनकर्ता शिवदास ने स्वयं अवधि विधान के आवेदन पत्र की कंडिका –1 में दर्शाया है कि उसने विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया कि विक्रीत भूमि विक्रेता के नाम दर्ज नहीं है तथा नामांतरण आवेदन निरस्त करने संबंधी जानकारी उसे नहीं दी। इसी प्रकार अवधि विधान के आवेदन की कण्डिका –2 में दर्शाया गया है कि नामांतरण आवेदन निरस्त संबंधी जानकारी दिनांक 17.01.2012 को तहसील में बाबू से ली जिसने बताया कि दिनांक 17.2.2011

को रिकार्ड छतरपुर रिकार्ड रूम में जमा कर दिया है। दिनांक 18.01.2012 को नकल हेतु आवेदन दिया दिनांक 25.08.2012 को नकल प्राप्त न होकर एक प्रमाण पत्र दिया कि प्रकरण जमा नहीं है। दिनांक 27.08.2012 को पुनः संबंधित बाबू से कहा जिस पर बाबू ने काफी समय तक टालमटोल करता रहा अंत में दिनांक 08.06.2012 को फाईल रिकार्ड रूम में जमा करना बताया गया उक्त जानकारी के आधार पर दिनांक 20.09.2012 को पुनः नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 05.02.2013 को प्राप्त हुई। अनावेदक शिवदास को बंटवारा आदेश की जानकारी कैसे हुई आवेदन पत्र में इस बावत कोई लेख नहीं किया इससे स्पष्ट है कि अनावेदक शिवदास को वटबांरा की जानकारी पूर्व से थी इसी कारण प्रस्तुत आवेदन में जो कथन लेख किये है वह मात्र अपील को अंदर म्याद ग्राह्मय करने के आशय से ही मनगढंत कहानी बनाकर आवेदन में लेख की है। जो विश्वसनीय मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय ने 1992 रा. नि. 289 मं यही व्यवस्था दी है कि विलंब सदभावना पर आधारित होने व पर्याप्त कारण होने पर ही क्षमा किया जा सकता है। अनावेदक शिवदास द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दौ वर्ष तीन माह बाद अपील प्रस्तुत की गयी है और विलंब का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अनावेदक शिवदास वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेख में अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है न ही संयुक्त खातेदार के रूप में नाम दर्ज है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्मय होने से प्रचलन योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16.06.2015 तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष

लंबित अपील समयावधि बाह्यय होने से प्रचलन योगय नहीं होने से निरस्त/ समाप्त की जाती है। नायब तहसीलदार बछौन तहसील चन्दला द्वारा रा. प्र. क्र. 32/अ–27/09–10 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2010 यथावत रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर